रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 1985/माघ 15, 1906
No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 1985/MAGHA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग

(पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1985

आयोग द्वारा जनवरी 21, 1985 को बनाया गया अतिरिक्त विनियम

का. आ. 90(अ).—यतः इस आयोग ने अपने द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि के संबंध में जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन, दिसम्बर 5, 1984 को विनियम बनाये हैं; और

यतः विनियम सं. 2 में अतिरिक्त विनियम बनाये जाने के लिए उपबंध है; और

यतः आयोग मौजूदा विनियम 5 और 6 के बीच अन्तःस्थापित किये जाने वाले विनियम 5क और 5ख बनाते हुए मौजूदा विनियमों में परिवर्धन करना आवश्यक समझता है, आयोग निम्नलिखित अतिरिक्त विनियम बनाता है :—

"5(क) आयोग अपने तथ्यान्वेषण कार्य के प्रयोजन के लिए, विचारार्थ विषय के विषय-वस्तु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी या उनमें से किसी भी मामले की जांच करने के प्रयोजन के बारे में सूचना एकत्र करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है।

5(ख) (1) सूचना मंगाने वाले या (2) किसी भी व्यक्ति से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा करने वाले किसी भी मांग पत्र पर या (3) जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 4(2) के अधीन किन्हीं समनों पर यदि आयोग द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए गये तो उस पर आयोग के सचिव या उप सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

अतिरिक्त विनियम अभी से लागू होंगे।

यथासंशोधित विनियम अब अनुलग्नक के अनुसार पढ़े जाएंगे।

सचिव को निदेश दिया जाता है कि वे विनियमों के इस संशोधन को सरकार राजपत्र में प्रकाशित करवायें।

जांच आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-विधि के 21 जनवरी, 1985 तक यथा संशोधित विनियम

यह आयोग अपने द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-विधि के संबंध में एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. ये विनियम जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 के प्राधिकार के अधीन बनाए जा रहे हैं।

2. समय समय पर अतिरिक्त विनियम बनाए जा सकते हैं और जैसा आवश्यक समझा गया, समय-समय पर मौजूदा विनियमों को हटाया, आशोधित किया अथवा बदला जा सकता है।

3. आयोग का मुख्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी (दूसरे फलोर के कमरा नं. 320 से 332) मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली होगा।

4. आयोग का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा मनायी जा रही छुट्टियों से इतर अन्य सभी दिनों में, प्रातः 10.00 बजे से दोपहर बाद 1.30 बजे तक और दोपहर बाद 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्य करेगा।

5. आयोग किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को पत्र लिखकर किसी भी विषय के बारे में सूचना मांग सकता है। ऐसे पत्र में उन मुद्दों को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिनके बारे में सूचना मांग गई है और इसमें ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, जिनका उत्तर देना अपेक्षित हो। यदि आयोग आवश्यक और समुचित समझे तो आयोग ऐसे व्यक्तियों के सूचना या उसके जवाब में दिए गए उत्तरों के समर्थन में, शपथ पत्र भेजने की इच्छा भी प्रकट कर सकता है।

5(क). आयोग अपने तथ्यान्वेषण कार्य के प्रयोजन के लिए, विचारार्थ विषय के विषय-वस्तु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी या उनमें से किसी भी मामले की जांच करने के प्रयोजन के वास्ते सूचना एकत्र करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है।

5(ख). (1) सूचना मंगाने वाले या (2) किसी भी व्यक्ति से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा करने वाले किसी भी मांग-पत्र पर या (3) जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 4(2) के अधीन किन्हीं समनों पर यदि आयोग द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं तो उस पर आयोग के सचिव या उप सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6. जब साक्ष्य रिकार्ड किया जाए तो, आयोग, साक्ष्य रिकार्ड किए जाने का काम पूरा हो जाने के बाद तर्क करने का अवसर देगा, परन्तु प्रत्येक परामर्शी के लिए तर्क करने की अवधि को दो घंटे तक सीमित रखेगा। यदि अधिक पक्षकार हैं और एक से अधिक परामर्शी, प्रत्येक दो घंटे के लिए तर्क करते हैं तो विपरीत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की पार्टियों की संख्या तथा पेश हुए वकीलों की संख्या के आधार पर तर्क का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

6(क). आयोग संबंधित पक्षों को दो घंटे के मौखिक तर्क को लिखित तर्क द्वारा पूरा करने की अनुमति देगा।

7. आयोग यह निदेश दे सकता है कि जांच के समय दर्ज किए गए साक्ष्य और/अथवा सुनवाई के समय किए गये मौखिक तर्क को टेप रिकार्डर में टेप किया जाए, यदि ऐसा करना आवश्यक अथवा समुचित समझा जाए।

8. जांच के विषय-वस्तु के गंभीर स्वरूप को देखते हुए, आयोग की कार्यवाही गुप्त रूप से होगी, जब तक कि आयोग अन्यथा निदेश न दे।

9. ये विनियम अभी से लागू होंगे।

[सं. 28/4/84-टी. सी. आई.]

एम. पी. ठक्कर, अध्यक्ष
ठक्कर जांच आयोग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Justice Thakkar Commission

(Commission to inquire into the assassination of Late Prime Minister Shrimati Indira Gandhi under the Commissions of Inquiry Act, 1952)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1985

ADDITIONAL REGULATION FRAMED BY THE COMMISSION ON JANUARY 21, 1985

S.O. 90(E).—Whereas the Commission has framed regulations under Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 in regard to the procedure to be followed by the Commission on December 5, 1984; and

Whereas Regulation No. 2 provides for framing of additional regulations; and

Whereas the Commission considers it necessary to add to the existing regulations by framing Regulation No. 5A and 5B to be interposed between existing Regulations 5 and 6 the Commission frames the additional regulation as under :—

"5A The Commission may for the purpose of its fact-finding exercise, interrogate any person with a view to collect information for the purpose of inquiring into all or any of the matters directly or indirectly pertaining to the subject-matter of the terms of reference.

5B (1) Any requisition calling for information or (2) requiring any person to answer any interrogatories or (3) any summons under Rule 4(2) of the Commissions of Inquiry (Central) Rules, 1972 shall be signed by the Secretary or the Deputy Secretary of the Commission unless it is signed by the Commission himself."

The additional regulations will come into force forthwith.

The Regulations as amended will now read as per the Annexure.

The Secretary is directed to get this amendment to Regulations published in Government Gazette.

REGULATIONS OF PROCEDURE TO BE FOLLOWED BY THE COMMISSION OF INQUIRY AS AMENDED UPTO JANUARY 21, 1985.

The Commission hereby frames the following regulations in regard to the procedure to be followed by the Commission :—

1. The regulations are being framed under the authority of Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

2. Additional regulations may be framed from time to time and the existing regulations may be deleted, modified or varied from time to time as may be deemed expedient.

3. The Headquarters of the Commission shall be Annexe to Vigyan Bhavan (Room Nos. 320 to 332 in Second Floor), Maulana Azad Road, New Delhi.

4. The Office of the Commission shall function from 10.00 A.M. to 1.30 P.M. and 2.00 P.M. to 5.00 P.M. on all days other than holidays observed by the Central Government.

5. The Commission may call for information on any subject by addressing communication to any person or authority. Such communication may specify the points on which information is sought and may embody interrogatories which may be required to be answered. The Commission may also desire such persons to send affidavits in support of the information or answers given in response thereto if the Commission considers it necessary or expedient.

5A. The Commission may for the purpose of its fact-finding exercise, interrogate any person with a view to collect information for the purpose of inquiring into all or any of the matters directly or indirectly pertaining to the subject-matter of the terms of reference.

5B. (1) Any requisition calling for information or (2) requiring any person to answer any interrogatories or (3) any summons under Rule 4(2) of the Commissions of Inquiry (Central) Rules, 1972 shall be signed by the Secretary or the Deputy Secretary of the Commission unless is is signed by the Commission himself.

6. When evidence is recorded, the Commission, after the completion of the recording of evidence would afford an opportunity of addressing arguments, but will restrict the duration of arguments to two hours for each counsel. In case there are more parties and more than one counsel address their arguments for two hours each, the counsel representing the opposing point of view will be afforded extra time to deal with the arguments, depending on the number of parties and number of advocates appearing.

6A. The Commission will permit parties concerned to supplement the two-hour oral arguments by written arguments.

7. The Commission may direct that the evidence recorded at the inquiry and/or oral arguments urged at the hearing may be taped in a taperecorder if it is considered so necessary or expedient.

8. In view of the sensitive nature of the subject-matter of the inquiry, the proceedings will be in camera unless the Commission directs otherwise.

9. These regulations will come into force forthwith.

[No. 28/4/84-TCI]

M. P. THAKKAR, Chairman

Thakkar Commission of Inquiry

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985